



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राज भवन, पटना-800 022

प्रथम अपील वाद संख्या-135 (प्र.अ.प्रा.) / 2024-25

श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रदेश महासचिव, एडवोकेट्स कॉफ्रेंस ऑल इंडिया 180, ए. बी०
पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना-800 013

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1) के अधीन)

क्रम संख्या एवं दिनांक	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी- दिनांक सहित
01 10.03.2025	<p>अपीलांट के दिनांक-26.02.25 के प्रथम अपील आवेदन एवं उसके साथ संलग्न उनके दिनांक-26.12.2024 के मूल सूचनावेदन (प्रपत्र 'क') की प्रति संलग्न करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपीलांट के मूल सूचनावेदन के माध्यम में माँगी गयी सूचना के संबंध में एक तथ्यात्मक एवं आत्म-भारित प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के अन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि माँगी गई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है अथवा नहीं। यदि माँगी गई सूचना अभी तक नहीं उपलब्ध करायी गई है, तो अधिनियम की धारा-8, 9, 10 एवं 11 के अध्याधीन माँगी गयी सूचना अविलम्ब अपीलांट को स्पीड-पोस्ट द्वारा प्रेषित की जाये।</p> <p>2. इस आदेश के अनुपालन में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना से यदि अपीलांट संतुष्ट नहीं हों, तो अगले पाँच कार्यदिवसों के अन्दर वे अपना पक्ष लिखित तौर पर उन कारणों/आधारों का उल्लेख करते हुए प्रेषित करें कि वे किस कारण से/आधार पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना से असंतुष्ट हैं और ऐसी स्थिति में वे स्वयं, अथवा अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जिनका पंजीकृत विधिक पेशेवर होना आवश्यक नहीं है, दिनांक-18.03.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं।</p> <p>3. अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर यह धारण ली जायेगी कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के अनुपालन में प्रेषित सूचना से अपीलांट संतुष्ट हैं और तदनु रूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं गुणागुण के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णीत किया जायेगा।</p>	



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राज भवन, पटना-800 022

<p>4. सुनवाई हेतु उपस्थित होने की स्थिति में अपीलांट इस आदेश की प्रति तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई विधिमान्य फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र अपने साथ अवश्य लेकर आयेंगे ताकि राज भवन के स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें राज भवन परिसर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में प्रवेश देने हेतु राज भवन के सुरक्षा प्रभारी से अनुरोध किया जा सके।</p> <p>5. अपीलांट द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क के रूप में प्रेषित भा. पो. ऑ. (संख्या-64F 298441) की मूल प्रति लेखा पदाधिकारी को हस्तगत कराई जाये जिनके द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पूर्वोक्त इंस्ट्रूमेंट को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा कराने की कार्रवाई की जायेगी।</p> <p style="text-align: right;">ह./- (संजय कुमार मिश्र) अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी</p>	
--	--

ज्ञापांक-135 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25- 606 (रा.स.)/पटना दिनांक-10 मार्च, 2025

प्रतिलिपि:

1. लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से),
2. लेखा पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना को भा.पो.ऑ. (संख्या-64F 298441) की मूल प्रति के साथ (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से),
3. श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रदेश महासचिव, एडवोकेट्स कॉफ्रेस ऑल इंडिया 180, ए. बी० पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना-13 । (स्पीड-पोस्ट से),
4. सुरक्षा प्रभारी, राजभवन, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और
5. आई.टी. प्रबंधक, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.03.25
अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी